





## न्यायालय जिला कलक्टर, शाहपुरा

नारायण लाल माली पुत्र अर्जुन लाल, निवासी- पुरानी आरणी तहसील व जिला शाहपुरा।	वनाम	हीरालाल माली पुत्र अर्जुन लाल, निवासी- पुरानी आरणी तहसील व जिला शाहपुरा वगैरा।
- प्रार्थी		- विपक्षी

प्रकरण संख्या 02/2024 निगरानी

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तारीख में जारी हुए
01.01.2024	न्यायालय जिला कलक्टर, भीलवाड़ा से प्रकरण स्थानान्तरण हो कर इस न्यायालय को प्राप्त हुआ। प्रकरण को पंजीबद्ध किया जाकर उभय पक्षों को नोटिस जारी करें। अधीनस्थ न्यायालय से रिकॉर्ड तलब किया जावें। प्रकरण आयन्दा सुनवाई हेतु दिनांक 02.02.2024 को पेश करें।	
	 (टीकम चन्द बोहरा) जिला कलक्टर शाहपुरा।	
02.02.2024	पत्रावली पेटा हुई। उभयपक्ष उपस्थित। निगराडार द्वारा जॉरिड अधिवक्ता मोहम्मद शरीफ एड प्रार्थना पत्र वास्तु पक्षकारों के मध्य शर्जीनामा हो जाने के पुरतः इसी स्तर पर खारिज किया जाने हेतु प्रस्तुत किया। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के संबंध में निगराडार अधिवक्ता को सुना एवं प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया। अतः निगराडार द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र वास्तु कार्यवाही नहीं चाहेन स्वीकार किया जाकर निगराडार की निगरानी अंतर्गत द्वारा 07 राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम 1994 इसी स्तर पर खारिज की जाती है। पत्रावली केवल शुभारंभ के तहत् से काम करें। न्यायालय का अनावश्यक समय नष्ट करने के कारण निगरानीकर्ता पर 1000/- (एक हजार) रुपये जुर्माने लगायी जाती है जो काफिले में जमा कराएं।	 M. V. D. D. 02-02-2024  J. K. S. Actv
	 जिला कलक्टर शाहपुरा	